लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :......................../सम्बद्धता/2018

दिनांक :.......................................

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय—ज्ञाप

सूच्य है कि बी0एड0 के अतिरिक्त नवीन महाविद्यालयों अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की अनापत्ति व सहयुक्तता हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या : 1963/सत्तर– 2–2013–16(165)/2012टीसी, दिनांक 11.12.2013 एवं संख्या : 710/सत्तर–2–2014–16(165)/2012 टीसी, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 द्वारा निम्नानुसार समय सारिणी निर्धारित की गई है :–

क.सं.	कार्यवाही	शासन द्वारा प्रस्तावित समय सीमा	
		प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 30 जून तक।** (1) 30 जून तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे। (2) जो शिक्षण संस्थन समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/आश्वासन नही माना जायेगा।	**दिनांक 31 दिसम्बर तक।** 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे। प्रथम चक में उल्लिखित प्रकिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 15 अगस्त तक (1) खतौनी का सत्यापन आन—लाइन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण।	दिनांक 15 फरवरी तक प्रथम चक में उल्लिखित प्रकिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	अनापत्ति आदेश निर्गत किया जाना	दिनांक 31 अगस्त तक	दिनांक 28/29 फरवरी तक
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 20 सितम्बर तक। अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 सितम्बर तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा।	दिनांक 20 मार्च तक। अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 मार्च तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 अक्टूबर तक (1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। (2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। (3) समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	दिनांक 15 अप्रैल तक।

6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 नवम्बर तक।	दिनांक 30 मई तक।
7	शासन में अपील की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 दिसम्बर तक।	दिनांक 15 जून तक
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जनवरी तक।	दिनांक 15 जुलाई तक

अतः लखनऊ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में प्रस्तावित नये महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय से सहयुक्त पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों के संचालन हेतु सत्र 2019-20 से अनापत्ति एवं सहयुक्तता हेतु उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए जॉय अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : Af- 2५411-17 दिनांक : 13/11/.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति के अवलोकनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
4. निदेशक, आई.पी.पी.आर., ल0वि0वि0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
7. प्रबन्धक, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ।
8. गार्ड फाईल।

13/11/18
(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)